न्यायालय सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0 (Crime Against Women), मुरादाबाद

28.09.2022

अभियुक्त प्रदीप पुत्र पिल्लू उर्फ शिशुपाल की ओर से परिवाद संख्या–10077/2017 अन्तर्गत धारा–452,354 भा0द0सं0, थाना महिला के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी ने परिवादिनी के घर जाकर घर में घुसकर कोई घटना कारित नहीं की है और न ही परिवादिनी के सीने पर चाकू रखकर जोर जबर कपड़े उतरवाकर गलत काम करने जैसा अपराध किया गया है। अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जाये।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्त दिनांक–27.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्व है। प्रस्तुत प्रकरण परिवाद पर आधारित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त प्रदीप पुत्र पिल्लू उर्फ शिशुपाल द्वारा 30,000/– रूपये का बंध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

(वर्तिका शैलत)
सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0
(Crime Against Women),
मुरादाबाद।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3733